जिला – नागौर.

07.02.25 – पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस रा. सुनी गई। प्रार्थी ने प्रा०पत्र U/s 212 RT Act पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जिसमे सफलता की पूर्ण आशा है मौजा आलनियावास के ख० नं० 264 पुराने रकबा 03:00 बीघा पर प्रार्थी का संवत 2043 के पूर्व से काश्त कब्जा है व मकान तथा हौद बना हुआ है। प्रार्थी निवास करता है प्रार्थी के उक्त काश्त कब्जा के विरुद्ध तहसीलदार मेड़ता ने धारा 91 RLR Act के तहत प्रकरण सं० 5491 दर्ज कर कार्यवाही शुरु की

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

थी, जिसमें प्रार्थी ने अपना कब्जा साबित
किया जिस पर तहसीलदार मेड़ता ने
परिपत्र दि० 14.04.1977 के तहत नियमन
की सिफारिश की थी, परन्तु नियमन समिति
द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूमि अभी तक
नियमन नहीं की, जिससे खातेदारी
घोषणा का वाद पेश किया है। इस
प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का
सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के
पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र
स्वीकार किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर
मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन
किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम ओलनियावास
पुराने ख०नं० 264 नये ख०नं० 705
की किस्म गै०मु० गोचर दर्ज रिकार्ड है
जिसकी किसी निजि व्यक्ति को आवंटन
अथवा नियमन किये जाने पूर्णतया प्रतिबंध
है तथा इसके संबंध में उच्चतर न्यायालय
ने भी निर्देश पारित किये हैं। हालांकि
प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त
होते हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय
वाद-पत्र में होना है। प्रार्थी के वादग्रस्त
अभी तक नियमन नहीं होना अंकित
किया है। चूंकि भूमि प्रतिबंधित श्रेणी
की है जिसका नियमन नहीं हो सकता
है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी
के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का
प्रा०पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से
प्रा०पत्र 212 RTAct खारिज किया जाता
है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर